श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 07.12.2016 को आयोजित जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार ।

बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, माननीय विधायकों एवं अन्य उपस्थित सचिवगण तथा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया ।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि बैठक में विशेष रूप से सात निश्चय के बारे में चर्चा की जाएगी । इसके अतिरिक्त आर0टी0पी0एस0, मद्य निषेध, विधि-व्यवस्था संबंधी विषयों की भी समीक्षा की जाएगी।

कार्यावली विषय संख्या-1 : आर्थिक हल, युवाओं को बल (शिक्षा/योजना/श्रम संधाधन विभाग)

(1) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना : जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 69 आवेदकों को बुलाया गया था तथा 34 आवेदन स्वीकृत किया गया है।

समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की आवश्यकता है** ताकि **डी0आर0सी0सी0 में अधिकाधिक छात्र-छात्राएँ निबंधन कराने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने जायें । माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य को भी इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाय ।**

कार्यावली विषय संख्या-2 : कौशल विकास केन्द्रों का संचालन (श्रम संसाधन विभाग)

कौशल विकास केन्द्रों का संचालन : समीक्षा के क्रम जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि अररिया जिला के सभी 09 प्रखण्ड में 09 टीमों का गठन किया गया है एवं सभी 09 प्रखण्डों में 17 केन्द्र चयनित है, जिनमें नामांकित युवाओं की सं0-108 है । **वर्तमान में अररिया जिला में केन्द्र शुरू नहीं हुआ है। माह जनवरी, 2017 से अररिया में केन्द्र प्रारम्भ होगा।**

केन्द्रों को बैंक से सहायता दिलाने की व्यवस्था के संबंध में पूछे जाने पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि यह 10.00 लाख रू0 तक की सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए 5-6 बैंकों से बात करके मोडल प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है। उद्यमी स्वयं बैंकों से सम्पर्क करके सहायता प्राप्त करेंगे।

कार्यावली विषय संख्या-3 : हर घर बिजली लगातार (उर्जा विभाग)

हर घर बिजली लगातार : जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में पूर्व में 1,83,582 परिवारों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है तथा अद्यतन विद्युत सम्बंध सर्वेक्षण के अनुसार 2,18,178 परिवारों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराना शेष है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 41,900 परिवार को विद्युत सम्पर्क देने का लक्ष्य है, जिनमें से अबतक 19,027 परिवारों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध करा दिया गया है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि अररिया जिले में **विद्युत सर्वेक्षण कार्य की उपलब्धि लगभग 70 प्रतिशत है, जो प्रशंसनीय है ।** साथ ही निदेश दिया गया कि **छुटे हुए महादलित टोलों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराया जाय।**

कार्यावली संख्या-4 : हर घर नल का जल (पंचायती राज/नगर विकास/पी0एच0ई0डी0)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अररिया जिले की सभी पंचायतों में पेयजल लौह प्रभावित है । इसलिए यहाँ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) द्वारा

कियान्वित किया जाना है । वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में पी0एच0ई0डी0 द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं मिनी जलापूर्ति योजना के माध्यम से कुल 445 घरों में पेयजल की नलों द्वारा आपूर्ति की जा रही है । प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि अररिया नगर परिषद क्षेत्र में 14 वार्डों में नलों के द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजना है । आयरन रिमूविंग प्लांट के अभाव में अभी यह योजना कियान्वित नहीं हो पाई है । इस प्लांट के अधिष्ठापन के बाद यह योजना प्रारम्भ हो जाएगी ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नगर परिषद/पंचायत अन्तर्गत आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्र के डाटा के बारे में पूछे जाने पर **प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि इस तरह का डाटा उपलब्ध नहीं है।**

माननीय मंख्यमंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि नगर परिषद/पंचायत के किस क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता पर किस तत्व का असर है, यह चिन्हित किया हुआ है । **सम्बद्ध विभाग के पदाधिकारी इसे देख लें और जो भी सप्लाई क्षेत्र है उसमें सुधार करावें ।**

समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि जलमीनार गॉवों से काफी दूरी पर अवस्थित है। गॉवों में पानी पहूँच पायेगा या नहीं इसकी जाँच करने का निदेश प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दिया गया ।

कार्यावली संख्या–5 : घर तक पक्की गली नालियाँ– (पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पक्की गली नालियाँ निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के 607 तथा शहरी क्षेत्र के 73 वार्ड का चयन हुआ है, जिनमें से 412 वार्ड की वार्ड समिति गठित कर खाता खुला हुआ है। राशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

कार्यावली संख्या–6 : सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना (ग्रा0का0वि0)

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में इस योजना के तहत लगभग 1734.70 कि0मी0 सड़क बनी है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 466.46 कि0मी0, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2062.91 कि0मी0 एवं ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत 446.41 कि0मी0 सड़क निर्माण की योजना निर्माणाधीन है ।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 500 एवं अधिक की आबादी वाले तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 250 से 500 तक की आबादी वाले गॉवों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कोरनेटवर्क भी बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना के तहत गाँवों के छुटे हुए टोलों को जोड़ा जायेगा ।

ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित करके योजना के बारे में जानकारी देने का निदेश प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को दिया गया। कार्यशाला में सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, एवं कार्यपालक अभियंता भाग लेंगे। साथ ही कार्यशाला की तिथि की जानकारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को देने का निदेश दिया गया ।

कार्यावली संख्या–7 : शौचालय निर्माण, घर का सम्मान (ग्रामीण विकास/नगर विकास एवं आवास विभाग)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व से शहरी क्षेत्र में 14,189 परिवारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 67,112 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है । 01 पंचायत ओ0डी0एफ0 घोषित है एवं अन्य पंचायतों में ओ0डी0एफ0 करने का कार्य चल रहा है । **माननीय विधायक, फारविसगंज** द्वारा बताया गया कि अधिकांश दलित परिवारों के पास संसाधन नहीं है, जिससे वह शौचालय निर्माण करा सके। इस प्रकार की समस्या बहुत सारे लोगों का है। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में जिनके पास जमीन नहीं है तथा वे सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी शौचालय निर्माण की दिशा में कोई प्रावधान बनाने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि सरकार का कार्यक्रम है कि एक भी व्यक्ति बाहर शौचालय नहीं जाय। ऐसे लोगों के लिए शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर सामुदायिक शौचालय बनाया जा सकता है । जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ कोई जमीन दान देंगे तो वहाँ सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया जा सकता है । **जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय प्रशासन अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।**

कार्यावली संख्या–8 : अवसर बढ़े, आगे पढ़े (स्वास्थ्य विभाग)

(1) **प्रत्येक जिला में जी0एन0एम0 स्कूल की स्थापना–** अररिया अंचल अन्तर्गत मौजा–बसंतपुर, थाना नं0 206, खाता नं0–2438, खेसरा नं0– 7052, रकवा–1.75 एकड़ जी0एन0एम0 स्कूल की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया गया है । **जिला प्रशासन चयनित भूमि पर भवन निर्माण की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।**

(2) **प्रत्येक जिला में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना–** अररिया अंचल अन्तर्गत मौजा–बसंतपुर, थाना नं0–206, खाता नं0–2444, खेसरा नं0– 7051, रकवा–1.25 एकड पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया गया है । **जिला प्रशासन चयनित भूमि पर भवन निर्माण की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।**

(3) **प्रत्येक अनुमण्डल में ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना– अररिया अनंमण्डल के लिए** अररिया अंचल अन्तर्गत मौजा–बसंतपुर, थाना नं0–206, खाता नं0–2438, खेसरा नं0– 7052, रकवा–2.00 एकड़ पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना के लिए भूमि का चयन कर किया गया है तथा **फारविसगंज अनुमण्डल के लिए** फारविसगंज अनुमण्डलीय अस्पताल परिसर में 1.00 एकड़ भूमि को चयनित किया गया है । **माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दोनों संस्थानों के लिए भूमि चयन कर लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निदेश दिया गया कि भवन निर्माण की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।**

कार्यावली संख्या–9 : अवसर बढ़े, आगे पढ़े (श्रम संसाधन विभाग)

(1) **प्रत्येक अनुमण्डल में आई0टी0आई0/प्रत्येक जिला में महिला आई0टी0आई0 की स्थापना–** अररिया अनुमण्डल के लिए रानीगंज अंचल अन्तर्गत मौजा–रानीगंज, थाना नं0 78, खाता नं0–289, खेसरा नं0–868, 877, रकवा क्रमशः–2.80 एकड़ एवं 2.31 कुल–5.11 एकड़ भूमि, किस्म–जमीन लालजी उच्च विद्यालय की रैयती भूमि को आई0टी0आई0 के लिए चिन्हित की गई है। फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में पूर्व से आई0टी0आई0 स्थापित है । **फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में पूर्व से कार्यरत आई0टी0आई0 परिसर में ही महिला आई0टी0आई0 भवन** का निर्माण पूर्ण कराया गया है ।

(2) **जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेकनीक की स्थापना (सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग)–** अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेकनीक की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है । अभिलेख की स्वीकृति हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को भेजा गया है । **मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।**

कार्यावली संख्या–10 : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम :(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि सबसे अधिक मामले भू–विवाद से संबंधित प्राप्त हो रहे हैं । जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में वर्तमान में मात्र 9 अमीन कार्यरत है, अमीन की कमी के कारण जमीन से संबंधित आवेदन पत्रों के ससमय निष्पादन में कठिनाई हो रही है। पूर्व में अररिया जिला के लिए सेवानिवृत अमीन की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी । परन्तु कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। पुनः अमीन की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाएगा।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि 30 जिले से अमीन की रिक्ति प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र ही रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जायेगी ।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेश दिया गया कि जिन जिलों से अमीन की रिक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन जिलों से **संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर शीघ्र रिक्ति प्राप्त करेंगे ।**

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित काफी मामले इस जिले में प्राप्त हो रहे हैं । जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी मामले नया राशन कार्ड बनाने से संबंधित है । इस जिले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अपात्र लाभुकों का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है । अब अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से विधिवत् नोटिस देकर उनका आवंटन रद्द किया जायेगा । उसके उपरांत ही नये लाभुकों का नाम जोड़ा जायेगा । प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बताया गया कि आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से छुटे हुए लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रावधान शीघ्र ही कर लिया जायेगा । मुख्य सचिव द्वारा इस कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया ।

कार्यावली संख्या-11 : मद्य निषेध (निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)

मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कुल 4475 स्थलों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1042 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । छापेमारी में अवैध चुलाई शराब-1313.900 ली0, अवैध देशी शराब-1027.64 ली0, अवैध जमा महूआ-1300 कि0ग्रा0, अवैध विदेशी शराब-2990.375 ली0, अवैध बीयर 48 ली0 जप्त की गई है । एक्साईज एक्ट के अन्तर्गत 257 आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार पुलिस की अपेक्षा उत्पाद विभाग द्वारा अधिक छापेमारी की गई है । परन्तु अवैध देशी एवं विदेशी शराब उत्पाद विभाग की अपेक्षा बिहार पुलिस द्वारा ज्यादा मात्रा में जप्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शराब कारोबार से जुड़े लोगों के कार्यकलाप के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा बताया गया कि शराब कारोबार से जुड़े लोग अब दुसरे रोजगार कर रहे है । **ऐसे लोगों का मोबाईल सर्वेलेन्स में डालकर निगरानी रखने का निदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस अधीक्षक, अररिया को दिया गया।**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीय विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र के शराब बंदी के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर सभी माननीय विधायकों द्वारा इसे सराहनीय निर्णय बताया । **माननीय विधायक, जोकीहाट** द्वारा पलासी प्रखण्ड क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा चावल से शराब बनाने की बात बताई गई तथा इस पर छापेमापी की आवश्यकता बतायी गयी। माननीय विधायक, रानीगंज द्वारा भी बताया गया कि रानीगंज प्रखण्डान्तर्गत आदिवासियों द्वारा चावल से शराब बनाया जाता है। बार-बार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिससे कुछ दिन बन्द रहता है, फिर शराब बनाना शुरू कर देते है। **जिला पुलिस प्रशासन को निदेश दिया गया कि छापेमारी नियमित रूप से कराते रहेंगे ।**

कार्यावली संख्या-12 : नशा मुक्ति केन्द्र (स्वास्थ्य विभाग)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नशामुक्ति केन्द्र पर अबतक कुल 213 मरीज उपचार हेतु आये, जिसमें से 198 मरीजों का उपचार किया गया तथा 15 मरीजों को बेहतर ईलाज निमित रेफर किया गया । माननीय विधायक, जोकीहाट द्वारा बताया गया कि नशे के आदी लोगों द्वारा अब कफसीरप एवं अन्य नशे की दवा का इस्तेमाल किया जाता है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पर उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग को विशेष निगरानी रखने निमित निदेश दिया गया ।

कार्यावली संख्या-13 : अपराध नियंत्रण (गृह विभाग)

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अप्रैल, 2015 से अक्टूबर, 2015 की तुलनाम में अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक अपराध नियंत्रण आँकड़ा में कमी आई है । हत्या में 9.8 प्रतिशत की कमी, इसी प्रकार डकैती-100 प्रतिशत, लूट-45 प्रतिशत, बलात्कार-14 प्रतिशत, शस्त्र अधिनियम-42 प्रतिशत एवं रोड दुर्घटना में 8.51 प्रतिशत की कमी आयी है, जबकि एप0डी0पी0एस0 एक्ट में 329 प्रतिशत, उत्पाद अधिनियम में 415 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । साथ ही गृहभेदन में 22 प्रतिशत, चोरी-11 प्रतिशत, साधारण दंग-48 प्रतिशत, भीषण दंगा-50 प्रतिशत, साधारण अपहरण-60 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न-47.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पिछले वर्ष से अपराध आंकड़ा बढ़ा है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि अपराध संबंधी प्रतिवेदन समय पर

नहीं भेजा जाता है। ज्यादातर मामला भूमि विवाद से संबंधित रहता है। इसपर पुलिस प्रशासन को विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अपराध की घटनायें होती है। **मेनरोड, हाईवे इत्यादि स्थानों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे।** इससे चोरी एवं रोड क्राईम घटेगा और लोग भी सतर्क रहेगें ।

कार्यावली संख्या-14 : जीविका समूह (ग्रामीण विकास/शिक्षा विभाग)

माननीय मुख्यमत्री महोदय द्वारा बताया गया कि बड़े परिवार की महिलायें शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई हैं और वे विद्यालय नहीं आती हैं। नियमित रूप से विद्यालयों का जाँच कराया जाए और ऐसे शिक्षक जो विद्यालय नहीं आते है, उन्हें सेवा से मुक्त करें।

कार्यावली संख्या-15 : धान अधिप्राप्ति (सहकारिता/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा पृच्छा की गई कि धान अधिप्राप्ति की गति धीमी क्यों है? प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि नमी अधिक रहने के कारण धान अधिप्राप्ति की गति धीमी है । यह भी बताया गया कि पैक्सों को सी0सी0 लिमिट की राशि उपलब्ध करा दिया गया है । धान अधिप्राप्ति हेतु 31,000 किसानों द्वारा Online निबंधन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीय विधायकों से अनुरोध किया गया कि जो लोग बटाई पर खेती करते हैं, वैसे किसानों को धान अधिप्राप्ति Online निबंधन हेतु प्रेरित करें।

अन्यान्य :

माननीय मुख्यमत्री महोदय द्वारा माननीय विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य समस्या के बारे में पूछे जाने पर माननीय विधायकों द्वारा निम्नप्रकार अपने-अपने क्षेत्र की समस्या बतायी गयी :-

1. **माननीय विधायक, रानीगंज श्री अचमीत ऋषिदेव** : माननीय विधायक द्वारा निम्न सड़क बनाये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया । (1) कालाबलुआ-कोशकापुर होते हुए बनमनखी सीमा तक 18 कि0मी0 सड़क का निर्माण (2) सतवीर घाट परसाहाट पंचायत में पुल निर्माण (3) रानीगंज से भरगामा जानेवाली जगता खरसाही सड़क की मरम्मति (4) रजोखर से धामा जानेवाली सड़क निर्माण ।

2. **माननीय विधायक, नरपतगंज श्री अनिल यादव** : माननीय विधायक द्वारा निम्न स्थानों पर सड़क एवं पुल निर्माण तथा बाँधों पर सुलिस गेट का निर्माण हेतु अनुरोध किया गया। (1) नेपाल से कई छोटी-बड़ी नदी क्षेत्र होकर गुजरती है, इसलिए इस क्षेत्र में खजुरी, भरगामा में बिरनिया धार पर गोढ़ियारी घाट पर; शेखपुरा, भरगामा में लचहा धार पर दुमुहान घाट पर; गम्हरिया भरगामा में बिरनिया धार ड्रेनेज पर ध्वस्त काठपुल के स्थान पर; नरपतगंज में सुरसर नदी पर भवानीपुर में टॉवर के सामने वाले घाट पर तथा गेरूआ नदी में गरीबदास टोला और कुलदीरपुर के बीच पुलों का निर्माण (2) अचरा, नरपतगंज में सुरसर नदी पर सुलिस गेट निर्माण (3) बेला, नरपतगंज में राजाबाँध सुलिस गेट, जो वर्ष 2008 के बाढ़ में टूट गया है, का पुनर्निर्माण (4) गेरूआ धार पर खब्दह कनैली में सुलिस गेट निर्माण (5) नरपतगंज एवं भरगामा प्रखण्ड में 98 छोटी-2 वसावटों का विद्युतीकरण कार्य ।

3. **माननीय विधायक, जोकीहाट श्री सरफराज आलम** : माननीय विधायक द्वारा निम्न स्थानों पर पुल का निर्माण, बाँध का निर्माण हेतु अनुरोध किया गया । (1) कुर्सेल-लहरिया धार में 5-6 स्थलों में पुल का निर्माण । इस पथ का निर्माण विश्व बैंक कराया गया है। (2) तारण-बलुआ में एक बाँध का निर्माण (3) जोकीहाट में निबंधन विभाग के लिए भूमि की उपलब्धता (4) जोकीहाट प्रखण्डान्तर्गत स्थित जमींदारी बाँध की मरम्मति ।

4. **माननीय विधायक, फारविसगंज श्री विद्यासागर केशरी** : माननीय विधायक द्वारा निम्न स्थानों पर पुल निर्माण, सड़क मरम्मति, जल मीनार निर्माण आदि हेतु अनुरोध किया। (1) परमान नदी के पीपरा, कौआचार, बराटपर धार पर पुल निर्माण (2) फारविसगंज से अम्हरा-खरासपुर-पटेगना पथ के स्टेट हाईवे में परिवर्तन (3) फारविसगंज में अनुमण्डलीय सिविल कोर्ट की स्थापना (4) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की वर्षात् से पूर्व मरम्मति (5) फारविसगंज में 10 वर्ष से बन्द जलमीनार को चालू कराना तथा जोगवनी में

नया जलमीनार निर्माण (6) दिपोल हाईड्रोपावर का काम मे तेजी लाना । बथनाहा में पावर सबस्टेशन का काम चल रहा है, परन्तु रमैय में काम हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।

5. माननीय विधायक, सिकटी श्री विजय कुमार मंडल : माननीय विधायक द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। (1) ए0बी0एम0 सिकटी पथ में स्थित रानीपुल निर्माण का कार्य पूर्ण करना । (2) सिकटी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़रिया घाट पुल, कोची घाट तथा जहानपुर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना (3) वर्ष 2016 में सिकटी प्रखण्ड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों को अनुदान देना ।

6. माननीय विधायक, अररिया श्री आविदुर रहमान : माननीय विधायक द्वारा निम्न कार्यों को कराये जाने का अनुरोध किया गया। (1) महिषाकोल-झमटा पथ में पुल का निर्माण (2) अररिया जिला में फुड प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना (3) पनार नदी पर बॉध का निर्माण ।

7. माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, अररिया श्री अफताब अजीम : माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न कार्य को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया । (1)पलासी-मदनपुर पथ एवं बौसी-बसैठी पथ की मरम्मति (2) अररिया जिला अन्तर्गत जिला परिषद की जमीन पर से अतिक्रमण हटाना ।

माननीय विधायकों एवं सदस्यों के अनुरोध के आलोक में प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि 100 से ज्यादा आबादी वाले 4081 टोला को चिन्हित किया गया है । जो गैप रह गया है, उसे शामिल कर लिया गया है। आज की तिथि में 3328 टोला में काम हो चुका है। शेष में मई, 2017 तक काम करा लिया जायेगा ।

प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि बनमनखी से रानीगंज पथ का डी0पी0आर0 प्राप्त हो चुका है, जिसका अध्ययन कर काम कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही बताया गया कि मुख्य मंत्री सड़क योजना में 200.00 करोड़ रू0 आवंटित किया गया है, जो किसी योजना के लिए कर्णाकित नहीं है। इससे पुलों का निर्माण कराया जा सकता है।

मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया को निदेश दिया गया कि जिला परिषद की जमीन पर से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें । माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अतिक्रमण करने वालों पर अंचलाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई करायी जाय।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया गया कि सड़कों के किनारे काफी ऊँचा नाला का निर्माण कराया जा रहा है । इस संबंध में प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं प्रधान सचिव, उर्जा विभाग को संयुक्त रूप से इसकी जाँच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी संबंधित विभागों को निदेश दिया गया कि जो कार्य चल रहा है, उसे शीघ्र निष्पादित करें और जो काम आवंटन के अभाव में बन्द है, उसके लिए संबंधित विभाग से आवंटन प्राप्त करेंगे ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

20/5/17

जिला पदाधिकारी
अररिया